सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय-संग्रह [1958]

अर्नेस्ट जॉन व्हाइट

बनाम

श्रीमती कैथलीन ऑलिव व्हाइट और अन्य

(भगवती, जे. एल. कपूर और गजेन्द्रगडकर, न्यायमूर्तिगण)

विवाह-विच्छेद-व्यभिचार-प्रमाण का मानक-सिद्धांत-प्रत्यक्ष साक्ष्य यदि अनिवार्य-तथ्य का निष्कर्ष कब हस्तक्षेप किया जा सकता है-विवाह-विच्छेद अधिनियम (IV का 1869), धाराएँ 14 और 7।

अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के विरुद्ध विवाह के विच्छेद के लिए व्यभिचार के आधार पर वाद दायर किया।

साक्ष्य पर विचार करते हुए विचारण न्यायालय ने पाया कि यह मानना संभव नहीं था कि व्यभिचार किया गया था, यद्यपि उसने पाया कि पत्रों में से एक में "एक बड़ा आधार सत्य का" निहित था। उच्च न्यायालय ने अपील में निर्णय के साथ सहमति व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय में अपील पर अपीलकर्ता के लिए यह तर्क किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों का निष्कर्ष दोषपूर्ण था क्योंकि कुछ साक्ष्य के अंशों को गलत पढ़ा गया था, और कुछ अन्य की उपेक्षा की गई थी। वैध और उचित अनुमान के रूप में न्यायालय को किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए था, बल्कि यह कि पत्नी उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचार की दोषी थी। साक्ष्य से यह प्रदर्शित हुआ कि पत्नी पटना गई और उत्तरदाता संख्या 2 के साथ एक काल्पनिक नाम के अंतर्गत एक होटल में ठहरी, कि वे होटल में एक ही कक्ष में रहे, कि उत्तरदाता का आचरण दोषपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाता था, और जहाँ तक पत्नी का संबंध था, उसका आचरण पूर्णतः उसके दोष के अनुरूप था:

अभिनिर्धारित, कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का स्वरूप ऐसा था जो विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 14 की आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा, और कि अधीनस्थ न्यायालयों

का यह निष्कर्ष कि उससे व्यभिचार का अनुमान नहीं निकाला जा सकता, निरस्त किया जाना चाहिए।

यद्यपि तथ्य के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना सामान्य नहीं है, तथापि जहाँ अधीनस्थ न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य के अंशों की उपेक्षा करते हैं या उनका गलत अर्थ ग्रहण करते हैं, और यह न्यायालय इस मत का होता है कि कोई भी अधिकरण समग्र रूप से लिए गए साक्ष्य के आधार पर ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता था, ऐसे निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता था।

अभिनिर्धारित, आगे, कि शब्द "साक्ष्य पर संतुष्ट" विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 14 में, यह अभिप्रेत करते हैं कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह केवल तभी डिक्री प्रदान करे जब वह संतुष्ट हो कि मामला युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध किया गया है जहाँ तक वैवाहिक अपराध के किए जाने का संबंध है।

साक्ष्य स्पष्ट और संतोषजनक होना चाहिए मात्र संभावनाओं के संतुलन से परे। किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा मुद्दे को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और विरले ही संभव होता है।

प्रेस्टन जोन्स बनाम प्रेस्टन जोन्स, [1951] ए.सी. 391 में निर्धारित नियम वह सिद्धांत स्थापित करता है जिसका अनुसरण न्यायालयों द्वारा विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

मद्रास राज्य बनाम ए. वैदानाथ अय्यर, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 61, *परवेज अर्देशिर पूनावाला बनाम बॉम्बे राज्य,* आपराधिक अपील 122 का 1954, जिसका निर्णय 20 दिसंबर 1957 को किया गया, *स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम राजा,* ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 289, *मोर्डौन्ट बनाम मोनक्रिफ,* (1874) 30 ई.टी. 649 तथा *गावर बनाम गावर,* [1950] 1 ऑल ई.आर. 804, का संदर्भ दिया गया।

लव्डेन बनाम लव्डेन, (1810) 161 ई.आर. 648; (1810) 2 हैग. कॉन. 1, 3, का संदर्भ दिया गया।

प्रेस्टन जोन्स बनाम प्रेस्टन जोन्स, [1951] ए.सी. 391, पर निर्भर किया गया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1956 का दीवानी अपील संख्या 19

पटना उच्च न्यायालय के 1951 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 24 में दिनांक जुलाई 21, 1954 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील, जो उक्त उच्च न्यायालय के वैवाहिक वाद संख्या 2 का 1950 में दिनांक मई 15, 1951 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई।

एम. सी. सीतलवाड़, भारत के महान्यायवादी, एन. सी. चटर्जी और पी. के. चटर्जी, अपीलकर्ता के लिए।

अधीनस्थ दोनों न्यायालय व्यभिचार के किए जाने के उचित अनुमान को निकालने में असफल रहे हैं, जो सिद्ध किए गए तथ्यों से वैध रूप से निकाला जाना चाहिए था। एकल न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय दोनों कुछ साक्ष्य के अंशों पर विचार करने में असफल रहे और कुछ अन्य साक्ष्य के अंश, जो समान रूप से महत्वपूर्ण थे, गलत पढ़े गए और उनका गलत अर्थ ग्रहण किया गया और वैध तथा उचित अनुमान के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों को किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए था बल्कि यह कि पत्नी व्यभिचार की दोषी थी और ऐसे मामले में अधीनस्थ तथ्यों के निष्कर्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित होगा।

मद्रास राज्य बनाम ए. वैदानाथ अय्यर, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 61 तथा *स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम राजा,* ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 289।

एन. सी. चटर्जी ने *आगे तर्क दिया।* उच्च न्यायालय का निर्णय कुछ गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है और इस न्यायालय को उस कठोर सिद्धांत पर कार्य नहीं करना चाहिए कि अंतिम अपीलीय न्यायालय में तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

सर विलियम स्कॉट का उक्त कथन *लव्डेन बनाम लव्डेन,* (1810) 161 ई.आर. 648 में, "एक समझदार और न्यायपूर्ण व्यक्ति के सावधानीपूर्ण विवेक" के संबंध में, यह अर्थ नहीं रखता कि वैवाहिक अपराध के किए जाने का संतोषजनक साक्ष्य होना चाहिए। लॉर्ड मैकडर्मॉट

ने *प्रेस्टन जोन्स बनाम प्रेस्टन जोन्स,* एल.आर. [1951] ए.सी. 391 में इंगित किया है कि यदि कोई न्यायाधीश युक्तिसंगत संदेह से परे उस वैवाहिक अपराध के किए जाने के संबंध में संतुष्ट है जिस पर याचिकाकर्ता ने विवाह-विच्छेद के आधार के रूप में भरोसा किया है, तो वह निश्चय ही अधिनियम के अर्थ में "संतुष्ट" होगा, और व्यभिचार के मामलों में भी ऐसा ही होगा जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वे किसी बच्चे के पितृत्व को सम्मिलित करती हों। व्यभिचार के मुद्दे पर सफल होने के लिए प्रत्यक्ष तथ्य का, या समय और स्थान में व्यभिचार के किसी कृत्य का सिद्ध करना आवश्यक नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा होता, तो बहुत कम मामलों में ऐसा प्रमाण प्राप्त हो पाता। अनेक मामलों में यह इंगित किया गया है कि विरले ही पक्षकारों को व्यभिचार के प्रत्यक्ष कृत्य में पकड़ा जाता है और ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता होगा। राइडन ऑन डिवोर्स, 6 वाँ संस्करण, पृष्ठ 115; *डगलस बनाम डगलस*, [1951] पी. 85:[1950] 2 ऑल ई.आर. 748। लगभग प्रत्येक मामले में व्यभिचार का तथ्य उन परिस्थितियों से अनुमानित किया जाता है जो उचित अनुमान द्वारा आवश्यक निष्कर्ष के रूप में उस तक ले जाती हैं। यदि ऐसा न माना जाए तो वैवाहिक अधिकारों को बिल्कुल कोई संरक्षण नहीं रहेगा। *एलेन बनाम एलेन,* [1894] पी. 248, द्वारा *लव्डेन बनाम लव्डेन* का अनुमोदन किया गया।

अधिवक्ता ने तब *डेविस बनाम डेविस,* [1950] पी. 125:(1950) 1 ऑल ई.आर. 40 का उल्लेख किया। उस मामले में बकनिल, एल. जे., और सोमरवेल, एल. जे., ने यह माना कि जब पति पत्नी की क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करता है, तो आपराधिक आरोप के लिए अपेक्षित प्रमाण के मानक का प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है। डेनिंग, एल. जे., ने इस बात पर बल दिया कि विवाह-विच्छेद का वाद दीवानी है, न कि आपराधिक कार्यवाही। वही प्रमाण का मानक जो आपराधिक मामलों में अपेक्षित होता है, आवश्यक नहीं है। आपराधिक न्यायालय में अपेक्षित प्रमाण की कठोरता आवश्यक रूप से विवाह-विच्छेद के वाद में अपेक्षित नहीं होती। लॉर्ड मेरिमन का उक्त कथन, जिसमें *चर्चमैन*

बनाम चर्चमैन, [1945] पी. 44 का उद्धरण दिया गया, कि वैवाहिक अपराध के मामले में वही कठोर प्रमाण अपेक्षित है जो आपराधिक अपराध के संबंध में अपेक्षित होता है, अत्यधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है और इसे बाद के निर्णयों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

अपील न्यायालय का हाल का निर्णय (बकनिल, एल. जे., और डेनिंग, एल. जे.,) *गावर बनाम गावर,* [1950] 1 ऑल ई.आर. 804 में सही विधि निर्धारित करता है, कि सही दृष्टिकोण डेनिंग, एल. जे., द्वारा निर्धारित किया गया है, जिन्होंने यह कहा कि न्यायालय को इस दृष्टिकोण से अपरिवर्तनीय रूप से बंधा नहीं होना चाहिए कि व्यभिचार का आरोप एक आपराधिक आरोप माना जाना चाहिए, जिसे सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। अधिनियम केवल इतना अपेक्षित करता है कि न्यायालय साक्ष्य पर संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता का मामला सिद्ध किया गया है और यह प्रस्तुत किया जाता है कि डेनिंग, एल. जे., ने सही सिद्धांत प्रतिपादित किया है और अधिनियम एक मानक निर्धारित करता है तथा व्यभिचार को क्रूरता, परित्याग या मानसिक अस्वस्थता के समान स्तर पर रखता है।

एन. सी. चटर्जी ने मोर्डान्ट बनाम मोनक्रिफ, [1874] 30 एल.टी. 649 का भी उल्लेख किया।

एस. पी. वर्मा, उत्तरदाता के लिए। प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर होता है जो व्यभिचार का आरोप लगाता है और सदैव निर्दोषता का एक अनुमान रहता है। किसी भी स्थिति में विवाह-विच्छेद की याचिका पर व्यभिचार के लिए कुछ कठोर प्रमाण अपेक्षित होता है जैसा कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले आपराधिक मामले में अपेक्षित होता है। जिनेसी बनाम जिनेसी, [1948] पी. 179:[1948] 1 ऑल ई.आर. 373। चर्चमैन बनाम चर्चमैन, [1945] पी. 44 में लॉर्ड मेरिमन के उक्त कथन को लागू करते हुए, विचारण न्यायालय युक्तिसंगत संदेह से परे दोष के संबंध में संतुष्ट नहीं था। तथ्य के प्रश्न का निर्णय करना विचारण न्यायाधीश का कार्य है; जब तक उसने स्वयं को गलत निर्देशित नहीं किया

है, उसका निष्कर्ष परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

आर. पटनायक, सह-उत्तरदाता संख्या 1 के लिए। प्रस्तुत किया कि 1958 में इस मामले का साक्ष्य अपेक्षित प्रमाण के मानक से बहुत कम है।

1958 मार्च 10। न्यायालय का निर्णय द्वारा प्रदान किया गया

कपूर, न्यायमूर्ति- यह एक अपील है जो विवाह-विच्छेद अधिनियम (IV का 1869) (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 56 के अंतर्गत प्रमाणपत्र के साथ, पटना उच्च न्यायालय के दिनांक जुलाई 21, 1954 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है, जिसमें पति का वाद खारिज किया गया था। पति, जो अपीलकर्ता है, ने अपनी पत्नी, जो उत्तरदाता संख्या 1 है, के विरुद्ध उसके द्वारा दो सह-प्रतिवादियों, जो अब उत्तरदाता संख्या 2 और 3 हैं, के साथ किए गए व्यभिचार के आधार पर विवाह के विच्छेद के लिए वाद दायर किया। वाद का विचारण उच्च न्यायालय में शीयरर, जे. द्वारा किया गया, जिन्होंने वाद को खारिज कर दिया और इस डिक्री की अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई। प्रमाणपत्र की वैधता के संबंध में प्रश्न उठाया गया था, परंतु जिस दृष्टिकोण को हमने अपनाया है उसके अनुसार इस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं है।

पति का विवाह पत्नी के साथ खड़गपुर में फरवरी 3, 1943 को हुआ था, और इस विवाह से कोई संतान नहीं है। इसके पश्चात पक्षकार समस्तीपुर में "रोज विला" में रहते थे और उत्तरदाता संख्या 2 अपनी माता के साथ पास के एक घर में रहता था जिसे "सनी नुक" कहा जाता था। पति ने पत्नी और अन्य दो प्रतिवादियों के बीच व्यभिचार के विभिन्न कृत्यों का आरोप लगाया। जहाँ तक उत्तरदाता संख्या 3 के साथ पत्नी के व्यभिचार के आरोपों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने पति के विरुद्ध निष्कर्ष दिया है और इन निष्कर्षों को हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 के बीच व्यभिचार के आरोप भी सिद्ध नहीं माने गए। हमारे समक्ष अपील में पति ने अपने मामले को उन व्यभिचार के कृत्यों तक सीमित रखा है जिनके बारे में आरोप है कि वे पटना के सेंट्रल होटल में किए गए

जहाँ पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 के जुलाई 25, 1950 से जुलाई 28, 1950 के बीच श्री और श्रीमती चार्ल्स चैपलिन के काल्पनिक नामों के अंतर्गत साथ रहने का आरोप है। पत्नी ने यह प्रतिवाद किया कि वह पटना केवल अपने दाँत निकलवाने के उद्देश्य से आई थी और उसी दिन समस्तीपुर लौट गई और उसे अकेले आना पड़ा क्योंकि उसके अनुरोध के बावजूद पति ने उसके साथ आने से इंकार कर दिया।

उत्तरदाता संख्या 2 ने यह प्रतिवाद किया कि वह अपनी माता के साथ पटना आया था "पुलिस अधीक्षक, तस्करी-निरोध विभाग के अधीन रोजगार प्राप्त करने के संबंध में, साथ ही माता के दाँत की समस्या के संबंध में और घरेलू खरीदारी के लिए"। उसने यह भी प्रतिवाद किया कि वह अपनी माता के साथ उसी कक्ष में अपने ही नाम से रहा था और किसी काल्पनिक नाम से नहीं।

विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि पत्नी, उत्तरदाता संख्या 2 और उसकी माता जुलाई 25, 1950 से जुलाई 28, 1950 तक होटल के कक्ष संख्या 9 और 10 में रहे। उन्होंने होटल के प्रबंधक कार्डोज़ा, साक्षी संख्या 3 तथा सफाईकर्मी किरा राम, अभियोजन साक्षी संख्या 4 के साक्ष्य को स्वीकार किया। उन्होंने पाया कि पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 को किरा राम द्वारा कक्ष संख्या 10 में देखा गया था और यह भी कि पक्षकार, अर्थात् पत्नी, उत्तरदाता संख्या 2 और उसकी माता, एक ही कक्ष में साथ चाय पीते थे, परंतु इस आचरण से उन्होंने व्यभिचार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। दस्तावेज़ प्रदर्श 8, दिनांक नवंबर 22, 1950, जो वास्तव में पहले लिखा गया था, को माननीय न्यायाधीश ने "सत्य का एक बड़ा आधार" युक्त माना। अपीलीय न्यायालय (एस. के. दास, मुख्य न्यायाधीश और रामास्वामी, न्यायाधीश) ने विचारण न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की, परंतु वे भी साक्ष्य से व्यभिचार के किए जाने का अनुमान निकालने में असमर्थ रहे। अपील में यह तर्क किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष दोषपूर्ण थे क्योंकि कुछ साक्ष्य के अंशों को गलत पढ़ा गया, कुछ की उपेक्षा की गई और वैध तथा उचित अनुमान के रूप में न्यायालय को किसी

अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए था बल्कि यह कि पत्नी उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचार की दोषी थी।

यह न्यायालय सामान्यतः विचारण न्यायाधीश और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु यदि निष्कर्ष देते समय न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य के अंशों की उपेक्षा करते हैं और अन्य ऐसे साक्ष्य के अंश, जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, गलत पढ़े गए और उनका गलत अर्थ ग्रहण किया गया पाया जाता है, और यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समग्र रूप से लिए गए साक्ष्य के आधार पर कोई भी अधिकरण वैध अनुमान के रूप में उस निष्कर्ष पर उचित रूप से नहीं पहुँच सकता था जिस पर वह पहुँचा है, तो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित होगा। [देखें *मद्रास राज्य बनाम ए. वैदानाथ अय्यर* (1); *परवेज अर्देशिर पूनावाला बनाम बॉम्बे राज्य* (2); *स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम राजा* (3)]।[1]

पटना का सेंट्रल होटल, जिसे पत्नी द्वारा किए गए व्यभिचार का स्थान बताया गया है, में केवल 10 कक्ष थे, जो सभी एकल थे, परंतु आवश्यकता होने पर अतिरिक्त बिस्तर लगा दिए जाते थे। संबंधित समय में एम. सी. कार्डोज़ा, अभियोजन साक्षी संख्या 3, वहाँ प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, किरा राम, अभियोजन साक्षी संख्या 4, सफाईकर्मी के रूप में, अब्दुल अज़ीज़, अभियोजन साक्षी संख्या 5 और उस्मान मियाँ, अभियोजन साक्षी संख्या 6 परिचारक के रूप में कार्यरत थे। किरा राम ने पत्नी की पहचान उस महिला के रूप में की जो उत्तरदाता संख्या 2 के साथ होटल में ठहरी थी, परंतु अन्य होटल कर्मचारियों ने, यद्यपि उन्हें पत्नी का छायाचित्र दिखाया गया था और उन्होंने उसे न्यायालय में भी देखा था, उसे उस व्यक्ति के रूप में पहचानने में असमर्थता व्यक्त की जो उत्तरदाता संख्या 2 के साथ ठहरी थी। किन्तु

1(1) ए. आई. आर. 1958 एस.सी. 61, 64

(2) आपराधिक अपील 122 का 1954, निर्णयित दिसंबर 20, 1957 को

(3) ए. आई. आर. 1936 पी.सी. 089, 099

उन्होंने उसकी पहचान उस सज्जन के रूप में की जो दो महिलाओं के साथ होटल में ठहरा था।

अधिवक्ता द्वारा परीक्षण में किरा राम ने कहा:

प्र. "(पत्नी की ओर संकेत करते हुए) मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस महिला को जानते हैं? उ. हाँ। प्र. क्या वे कभी आपके होटल आए थे? उ. हाँ। प्र. कितने समय पहले? उ. लगभग 9 या 10 महीने पहले। प्र. वे वहाँ कितने समय तक ठहरे? उ. लगभग 4 या 5 दिन। प्र. उन्होंने कौन सा कक्ष लिया? उ. कक्ष संख्या 10।"

वह कक्ष संख्या 10 में बिस्तरों की संख्या के संबंध में बताने में असमर्थ था और इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य भी नहीं है। उसने यह भी कहा:

प्र. "इन 4 या 5 दिनों के उनके आपके होटल में ठहरने के दौरान, क्या आप उनके स्नानगृह की सफाई करने जाते थे? उ. हाँ। प्र. जब भी आप जाते थे क्या आप उन्हें उस कक्ष में देखते थे? उ. हाँ, जब भी मैं कक्ष साफ करने जाता था, मैं मेमसाहब और साहब को वहाँ पाता था।"

न्यायालय द्वारा प्रश्न किए जाने पर साक्षी ने कहा:

प्र. "क्या आप स्मरण कर सकते हैं कि इन दो के साथ कोई अन्य मेमसाहब थी? उ. एक अन्य मेमसाहब थी जो कक्ष संख्या 9 में रहती थी।"

प्र. वह कैसी थी, युवा मेमसाहब या क्या? उ. वह बहुत अधिक वृद्ध नहीं थी, परंतु वह वृद्ध थी।"

और यह स्पष्टतः उत्तरदाता संख्या 2 की माता के संबंध में है। अतः किरा राम का साक्ष्य यह दर्शाता है कि पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 ने एक ही कक्ष, कक्ष संख्या 10, में निवास किया। इस साक्षी से उसके कार्य के समय के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और न ही प्रबंधक कार्डोज़ा से इस विषय में कुछ पूछा गया, परंतु एक अन्य साक्षी अब्दुल अज़ीज़, परिचारक, अभियोजन साक्षी संख्या 5 से इस विषय में निम्न प्रकार से पूछा गया:

प्र. "सफाईकर्मी के कार्य के घंटे क्या हैं? उ. वह 7 बजे प्रातः आता है और वह सायंकाल चला जाता है। वह कभी-कभी लगभग 11 और 11-30 बजे प्रातः या 12 बजे दोपहर के आसपास चला जाता है।"

इसी प्रकार किरा राम से पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 के *वस्त्रों* की अवस्था के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया और साक्षी ने इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहा। माननीय विचारण न्यायाधीश ने त्रुटिपूर्वक यह समझा कि जब किरा राम ने पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 के बारे में कहा तो वह "ऐसे कहता है मानो वे पूर्णतः वस्त्रधारी थे और *अव्यवस्थित अवस्था* में नहीं थे" और अपीलीय न्यायालय ने इस निष्कर्ष को इस रूप में ग्रहण किया कि "मानो इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रदर्शित होता है कि दोनों पूर्णतः वस्त्रधारी थे"। अपीलीय न्यायालय ने कार्य के समय के संबंध में भी स्वयं को गलत निर्देशित किया प्रतीत होता है। उसने कहा "सफाईकर्मी स्वीकार करता है कि वह 6 बजे प्रातः से 11 बजे प्रातः तक ड्यूटी पर था"। ऐसा साक्ष्य भी है जिसे अस्वीकार नहीं किया गया है कि प्रातः की चाय तीनों को, अर्थात् पत्नी, उत्तरदाता संख्या 2 और उसकी माता को, एक ही कक्ष में परोसी गई थी। किरा राम का यह कथन कि पत्नी और उत्तरदाता संख्या 2 एक ही कक्ष में रहे, प्रदर्श 6 से पुष्टि प्राप्त करता है, जो कि जुलाई 29, 1950 का होटल बिल और रसीद है, कक्ष संख्या 10 के लिए, श्री और श्रीमती चार्ल्स चैपलिन के नाम से। यह दस्तावेज़, यद्यपि विचाराधीन घटनाओं के साथ समकालीन है और किरा राम के साक्ष्य तथा कार्डोज़ा के इस कथन की दृढ़ पुष्टि करता है कि जब श्री और श्रीमती चार्ल्स चैपलिन होटल में ठहरे तो वे अपने ही कक्ष में ठहरे, प्रतीत होता है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के संज्ञान में नहीं लाया गया। ऊपर उल्लिखित दोषों के कारण किरा राम के साक्ष्य के आशय को, जिसे मुख्यतः अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने स्वीकार किया है, समझा नहीं गया और उसके आवश्यक परिणामों की उपेक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त होटल आगंतुक पुस्तिका में प्रविष्टि के लुप्त हो जाने के संबंध में साक्ष्य है, जो उत्तरदाता संख्या 2 के हस्तलेख में थी। यह प्रविष्टि श्री और श्रीमती चार्ल्स चैपलिन के

काल्पनिक नाम से, हांगकांग से होने के रूप में थी, परंतु जब उससे विदेशी प्रपत्र भरने को कहा गया तो प्रविष्टि को हांगकांग से बदलकर समस्तीपुर कर दिया गया। स्वयं प्रविष्टि न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि कार्डोज़ा के कथनानुसार (उत्तरदाता संख्या 2) होटल में आया और उस कक्ष से जहाँ आगंतुक पुस्तिका रखी थी, होटल के सेवक को हटाने में सफल होकर उस प्रविष्टि वाले पृष्ठों को फाड़ ले गया। इस तथ्य की पुष्टि उस शिकायत से होती है जो कार्डोज़ा ने दिसंबर 5, 1950 को पुलिस में की थी, तथा उसी तिथि की थाने की डायरी में इस संबंध में की गई प्रविष्टि से होती है। ये दोनों दस्तावेज़ प्रदर्श 1/1 और 1/2 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इस साक्ष्य के इस अंश का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह उस समय किया गया जब पति व्यभिचार के साक्ष्य एकत्र करना प्रारंभ कर चुका था और जब वह तथा उसकी बहन उस प्रविष्टि का निरीक्षण कर चुके थे, जो उसके कथनानुसार उत्तरदाता संख्या 2 के हस्तलेख में थी।

पत्नी के पटना आने का कारण दाँत की समस्या था। उसका दाँत निकल जाने के बाद भी उसने अपने दंत चिकित्सक से पुनः भेंट नहीं की, यद्यपि उसने ऐसा करने को कहा था। उसका कथन यह है कि वह उसी संध्या समस्तीपुर लौट गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि वह बिना कोई कारण बताए उत्तरदाता संख्या 2 के साथ पटना के सेंट्रल होटल में चार दिनों तक ठहरी रही और जहाँ तक होटल बिल तथा रसीद प्रदर्श 6 का संबंध है, उसके ठहरने के होटल शुल्क का भुगतान "चार्ल्स चैपलिन", अर्थात् उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा किया गया था, न कि उसके द्वारा। यह तथ्य भी अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के ध्यान से छूट गया है। और यह पत्नी की निर्दोषता की अपेक्षा उसके दोष के अधिक अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त जे. ए. बेकर, साक्षी संख्या 8 और टी. एच. ओ'कॉनर, साक्षी संख्या 9 के कथन हैं कि सितंबर 1950 में, ओ'कॉनर के घर पर उत्तरदाता संख्या 2 ने इन दोनों साक्षियों की उपस्थिति में पत्नी के साथ अपने अच्छे समय बिताने का घमंड किया और यह

कहा कि "वह एक असाधारण महिला थी"। उत्तरदाता संख्या 2 के पास कुछ प्रेम-पत्र भी थे जो पत्नी की ओर से होने का दावा किए गए थे, जिनके कुछ अंश उसने इन साक्षियों को पढ़कर सुनाए। उन्होंने यह बात पति को बताई जिससे वह सोच में पड़ गया। शीयरर, न्यायाधीश ने साक्ष्य के इस भाग को सत्य माना और अपीलीय न्यायालय ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु इसे इस प्रकार व्याख्यायित किया कि उस समय, अर्थात् सितंबर में, कोई व्यभिचारी संबंध नहीं था या वह पत्नी के आग्रह पर समाप्त हो चुका था। जैसा भी हो, यह निष्कर्ष जुलाई के महीने में पटना में हुए व्यभिचार के संबंध में पति के मामले को कमजोर नहीं करता; बल्कि इसके विपरीत यह व्यभिचारी संबंधों का समर्थन करता है।

उत्तरदाता संख्या 2 की माता की उपस्थिति पटना में व्यभिचार के किए जाने के विरुद्ध एक आवरण हो सकती थी, परंतु दस्तावेज़ प्रदर्श 8, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सत्य का एक आधार युक्त माना गया है, उस आवरण को हटा देता है। यह दस्तावेज़ पत्नी के प्रति माता के दृष्टिकोण का संकेत देता है। इस दस्तावेज़ से निम्नलिखित उद्धरण प्रासंगिक है, जो यह दर्शाता है कि वह अपने पुत्र के लिए पत्नी को चाहती थी:

" 'कितना अच्छा होता यदि तुमने मेरे पुत्र डेविड से विवाह किया होता।" एक अन्य अवसर पर जब वह उसके साथ चाय पी रही थी, उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं अपने पति को छोड़ दूँ और उसके पुत्र के साथ चली जाऊँ, जो अपना जीवन और स्वास्थ्य नष्ट कर रहा था और किसी कार्य में स्थिर नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह मुझे किसी अन्य पुरुष से विवाहित देख नहीं सकता था।

इस प्रकार माता की उपस्थिति दोनों के बीच व्यभिचारी संबंधों में कोई बाधा नहीं थी। साक्षी-पटल पर पत्नी ने सेंट्रल होटल की घटना, जिसमें उसका वहाँ ठहरना भी सम्मिलित है, पूर्णतः अस्वीकार कर दिया, जिससे न्यायालय उसकी व्याख्या से वंचित हो गए। अतः हम उसके द्वारा, या इस विषय में उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा, पटना के होटल में क्या हुआ, इस संबंध में कोई सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

अपीलकर्ता यह तर्क करता है कि समग्र रूप से लिए गए साक्ष्य के आधार पर केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पत्नी उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचार की दोषी थी। अन्य शब्दों में साक्ष्य गुण और परिमाण दोनों में ऐसा था कि वह अधिनियम की धारा 14 की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जो यह प्रावधान करती है:

धारा 14 " जिस स्थिति में न्यायालय साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता का मामला सिद्ध किया गया है ..... "

विचार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण शब्द हैं "साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट"। इन शब्दों का अभिप्राय है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता का मामला सिद्ध किया गया है तो वह डिक्री प्रदान करे, और यदि वह इस प्रकार संतुष्ट न हो तो याचिका को खारिज कर दे। इंग्लैंड के अधिनियम, वैवाहिक कारण अधिनियम 1937 की धारा 4 में भी यही शब्द प्रयुक्त हुए हैं और वहाँ यह माना गया है कि साक्ष्य स्पष्ट और संतोषजनक होना चाहिए, मात्र संभावनाओं के संतुलन से परे, और इस अर्थ में निर्णायक होना चाहिए कि वह उस बात को संतुष्ट करे जिसे सर विलियम स्कॉट ने *लव्डेन बनाम लव्डेन* (1) में "एक समझदार और न्यायपूर्ण व्यक्ति का सावधानीपूर्ण विवेक" कहा है। लॉर्ड मैकडर्मॉट ने सर विलियम स्कॉट के इस वर्णन का उल्लेख करते हुए *प्रेस्टन जोन्स बनाम प्रेस्टन जोन्स* (2) में कहा:

"विवाह-विच्छेद में क्षेत्राधिकार पक्षकारों की स्थिति से संबंधित होता है और सार्वजनिक हित यह अपेक्षा करता है कि विवाह बंधन को हल्के में या बिना कठोर जाँच के समाप्त न किया जाए। अधिनियम की शर्तें इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं, और मेरे विचार में इसके प्रावधानों की सावधानीपूर्ण प्रकृति के अनुरूप यह मानना बिल्कुल अनुचित होगा कि न्यायालय किसी विच्छेद के आधार के संबंध में युक्तिसंगत संदेह से परे प्रमाण से कम किसी बात से "संतुष्ट" हो सकता है। मुझे संभवतः यह भी जोड़ना चाहिए कि मैं उपयुक्त

प्रमाण के मानक के संबंध में अपने निष्कर्ष को आपराधिक विधि से किसी समानता के आधार पर नहीं रखता। मेरा यह नहीं मानना है कि, कम से कम इस सदन के *मोर्डन्ट बनाम मोनक्रिफ* ([3]) के निर्णय के बाद, दोनों क्षेत्राधिकार भिन्न नहीं हैं। वास्तविक कारण, मेरे मत में, कि दोनों समान सामान्य मानक—युक्तिसंगत संदेह से परे प्रमाण—को स्वीकार करते हैं, किसी समानता में नहीं बल्कि उस विषय की गंभीरता और सार्वजनिक महत्व में निहित है जिससे प्रत्येक संबंधित है।"[2]

अधिनियम की धारा 7 में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम के अंतर्गत सभी वादों और कार्यवाहियों में न्यायालय उन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार कार्य करेंगे और राहत प्रदान करेंगे जो न्यायालय की दृष्टि में इंग्लैंड के विवाह-विच्छेद और वैवाहिक कारणों के न्यायालय द्वारा उस समय अपनाए जाने वाले सिद्धांतों और नियमों के यथासंभव अनुरूप हों। हमारे मत में, लॉर्ड्स सभा द्वारा निर्धारित नियम वह सिद्धांत और नियम प्रदान करता है जिसे भारतीय न्यायालयों को अधिनियम द्वारा शासित मामलों में लागू करना चाहिए, और इसलिए विवाह-विच्छेद के मामलों में प्रमाण का मानक ऐसा होगा कि यदि न्यायाधीश वैवाहिक अपराध के किए जाने के संबंध में युक्तिसंगत संदेह से परे संतुष्ट है, तो वह अधिनियम की धारा 14 के अर्थ में संतुष्ट माना जाएगा। दोनों क्षेत्राधिकार, अर्थात् वैवाहिक और आपराधिक, भिन्न क्षेत्राधिकार हैं, परंतु धारा 14 के शब्द स्पष्ट करते हैं कि जब न्यायालय को वैवाहिक अपराधों के संबंध में साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होना है, तो दोष युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए और इसी सिद्धांत पर भारत में न्यायालय कार्य करेंगे, तथा इस प्रमाण के मानक को अपनाने का कारण वह गंभीर परिणाम है जो वैवाहिक मामलों में दोष के निष्कर्ष के पश्चात उत्पन्न होता है।

2(1) (1810) 161 ई.आर. 648, 649; (1810) 2 हैग. कॉन. 1, 3

(2) [1951] ए.सी. 391, 417

(3) (1874) 30 एल.टी. 649

गावर बनाम गावर (1) को अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष इस प्रश्न के संबंध में प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय को वैवाहिक अपराध के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परंतु *प्रेस्टन जोन्स वाद* (2) के निर्णय को देखते हुए उस वाद पर विचार करना अनावश्यक है।[3]

वैवाहिक अपराध पर आधारित वाद में किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा मुद्दे को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है और वास्तव में यह विरले ही संभव होता है, क्योंकि बहुत कम मामलों में ऐसा प्रमाण प्राप्त हो सकता है। अतः वर्तमान मामले में निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर क्या न्यायालय युक्तिसंगत संदेह से परे संतुष्ट हो सकता है कि पत्नी ने उत्तरदाता संख्या 2 के साथ पटना में जुलाई 25, 1950 से जुलाई 28, 1950 के बीच व्यभिचार किया। हमारे मत में सिद्ध तथ्य परिमाण और गुण दोनों में ऐसे पर्याप्त हैं कि वे *प्रेस्टन जोन्स वाद* (2) में लॉर्ड्स सभा द्वारा निर्धारित परीक्षण को संतुष्ट करते हैं। पत्नी पटना गई और उत्तरदाता संख्या 2 के साथ काल्पनिक नाम से ठहरी। वे एक ही कक्ष, अर्थात् कक्ष संख्या 10, में रहे। उत्तरदाता संख्या 2 के आचरण से स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण प्रवृत्ति और आकर्षण का संकेत मिलता है और पत्नी की प्रवृत्ति और आचरण के संबंध में कोई विपरीत संकेत नहीं है। इसके विपरीत, साक्ष्य द्वारा प्रदर्शित उसका आचरण उसके दोष के साथ पूर्णतः संगत है, जिससे यह निष्कर्ष उचित ठहरता है कि उसने उत्तरदाता संख्या 2 के साथ व्यभिचार किया और इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दोष के संबंध में दिया गया निष्कर्ष परिवर्तित किया जाना चाहिए।

इसलिए हम, इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त करते हैं और विवाह के विच्छेद के लिए डिक्री *निसी* प्रदान करते हैं। चूँकि व्यभिचार सिद्ध हो गया है, उत्तरदाता संख्या 2 इस न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में व्यय का भुगतान करेगा।

---

3 (1) [1950] 1 ऑल ई.आर. 804 (2) [1951] ए.सी. 391, 417

अपील स्वीकृत।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।